

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक: प.4(86)वित्त-1(1)/आ.व्य/2026

दिनांक: 28-09-2026

परिपत्र

विषय: यूथ बजट प्रस्तुत करने हेतु दिशा-निर्देश

युवा राज्य की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा राजस्थान युवा नीति, 2026 के अनुसार 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवा की श्रेणी में परिभाषित किया गया है। राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं नवाचार, नेतृत्व में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

विकसित राजस्थान @ 2047 के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य, कल्याण तथा युवाओं से संबंधित अन्य क्षेत्रों में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर किये जाने वाले व्यय को सकल रूप में प्रदर्शित करने के साथ-साथ युवाओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2027-28 से राज्य बजट के भाग के रूप में पृथक "यूथ बजट" प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यूथ बजट में ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों एवं बजट मदों को सम्मिलित किया जाएगा जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं के विकास, कल्याण एवं सशक्तीकरण में योगदान करते हैं। यूथ बजट में निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों को सम्मिलित किया जाएगा :-

1. शैक्षिक गतिविधियां
2. प्रशिक्षण
3. कौशल विकास
4. रोजगार एवं आजीविका संवर्द्धन
5. उद्यमिता एवं स्टार्टअप संवर्द्धन
6. छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता
7. खेल एवं युवा विकास कार्यक्रम

8. शोध, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पहल
9. कला, संस्कृति एवं रचनात्मक गतिविधियाँ
10. स्वास्थ्य, कल्याण एवं सामाजिक विकास संबंधी पहल
11. अन्य युवा उन्मुख योजनाएँ/कार्यक्रम

उक्त मानदण्डों के आधार पर यूथ बजट में सम्मिलित योजनाओं/कार्यक्रमों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर "बजट खण्ड-4 एफ (Budget Volume 4-F)" में प्रदर्शित किया जायेगा। यूथ बजट में श्रेणी-A के अन्तर्गत उन योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जावेगा जिनमें युवाओं के कल्याण/सर्वांगीण विकास हेतु योजना/कार्यक्रम के कुल प्रावधान का 70 प्रतिशत या इससे अधिक प्रावधान प्रस्तावित किया गया है तथा श्रेणी-B में 70 प्रतिशत से कम प्रावधान वाली योजनाएँ/कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जावेगा।

समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी वित्तीय वर्ष 2027-28 से बजट अनुमानों के संबंध में आयोजित BFC में अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन योजनाओं एवं बजट मदों की समीक्षा कर यूथ बजट में सम्मिलित किए जाने योग्य व्यय की पहचान करेंगे। विभागों द्वारा प्रपत्र-11 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर यूथ बजट संकलित कर बजट खण्ड 4-एफ (Budget Volume 4-F) पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

यूथ बजट तैयार करने एवं व्यय/प्रगति के पर्यवेक्षण हेतु युवा मामले एवं खेल विभाग नोडल विभाग होगा। नोडल विभाग द्वारा समस्त विभागों की कार्ययोजना निर्धारण का भी समन्वय किया जायेगा। इस उद्देश्य से विभाग द्वारा एक समर्पित यूथ बजट प्रकोष्ठ (Youth Budget Cell) का गठन किया जाएगा। यूथ बजट प्रकोष्ठ, योजनाओं की पहचान, सूचनाओं के संकलन तथा यूथ बजट के निर्माण एवं क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों के साथ सतत् समन्वय स्थापित करेगा।

सभी प्रशासनिक विभाग यूथ बजट से संबंधित सूचनाओं के प्रेषण तथा युवा मामले एवं खेल विभाग तथा वित्त विभाग के साथ समन्वय हेतु एक नोडल अधिकारी नामित कर नोडल विभाग एवं वित्त विभाग को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।



(वी.श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

क्रमांक: प.4(86)वित्त-1(1)/आ.व्य/2026

दिनांक: 28-09-2026

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय/ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग
4. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग
7. समस्त विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी
8. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1, 2, 3, 4, 5) विभाग
10. वरिष्ठ निदेशक (IT), NIC (IFMS)
11. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शिवांगी स्वर्णकार)

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

[12 / 2026]